राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जोहरीलाल बनाम हजारी 576/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.9.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत घोषणा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात के विषय में घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या-22 की आराजी खसरा नम्बर-20, 47, 49, 54, 55, 80, 83 लगायत 86, 89, 146, 156, 161, 210, 218, 226, 247, 292, 295, 360, 361, 363, 364, 367, 414 कुल किता 26 कुल रकबा 59 बीघा 5 बिस्वा, खाता संख्या-23 की आराजी खसरा नम्बर-173, 257. 285, 286, 287, 362, 365. 386, 386/437, 397, 401 कुल किता 11 कुल रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर में स्थित है। जिसमें खाता संख्या-22 सम्पूर्ण में से वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-5 का 1/3 हिस्सा एवं खाता संख्या-23 मे वादी का 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-1 ता 4 का 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-5 का 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-6 का 1/3 हिस्सा है। इसी के अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है एवं लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे हैं। वाद पत्र में आगे सजरा खानदान अंकित करते हुये कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या-1 ता 6 स्वर्गीय भैरू के पौत्र / पुत्र है एवम उक्त आराजी इनकी पुश्तैनी पैतृक आराजी है, जो स्वर्गीय भैरू की खातेदारी आराजी रही है। प्रतिवादी संख्या-5 धन्ना जगन्नाथ के नाऔलाद होने से गोद चला गया एवम् प्रतिवादी संख्या 6 नारायण रामनाथ के नाऔलाद होने से गोद चला गया। उक्त आराजी में से भैंरू ने अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 5 धन्ना के जगन्नाथ के गोद पुत्र चले जाने से उसके 1/3 हिस्से की भूमि का जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र दिनांक 28/04/1976 को बिना प्रतिफल राशि लिये ही नामान्तकरण तस्दीक करवा दिया एवम् उसके 1/3 हिस्से की बेचान की गयी भूमि का नामान्तकरण संख्या-31, ग्राम पंचायत गोहन्दी द्वारा दिनांक 17/08/1976 को प्रतिवादी संख्या-5 के पक्ष में स्वीकृत करवा दिया। उसके पश्चात भैंरू पुत्र गंगाराम के देहान्त होने के पश्चात् भैरू में दर्ज हिस्से का विरासत का नामान्तकरण संख्या-59 दिनांक 26/05/1989 को ग्राम पंचायत गोहन्दी द्वारा प्रतिवादी संख्या-5 के नाम गलत खोल दिया जो विधि विरूद्ध होने से प्रथम स्तर पर ही प्रभावहीन व	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जोहरीलाल बनाम हजारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 576/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शून्य है । उक्त आराजीयात में भैरू की विरासत का नामान्तकरण वादी एवम प्रतिवादी संख्या-1 ता 4 के पिता जगदीश के बराबर-बराबर हिस्सा अनुसार खुलना चाहिए था । प्रतिवादी संख्या 5 के गोद चले जाने से भैरू की विरासत में उसका कोई हक व अधिकार नहीं रहता है, बल्कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या-1 ता 4 कानूनन हक व अधिकारी होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है । प्रार्थी के पिता के भाई जगन्नाथ के देहान्त के पश्चात खसरा नम्बर-263 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा का विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या-5 धन्ना पि. मु. जगन्नाथ के नाम खुलवाया है । जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 5 जगन्नाथ का दत्तक पुत्र है एवम् कानूनन भैरू उर्फ भैरया की सम्पत्ति में अप्रार्थी संख्या-5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है । उक्त आराजी का अप्रार्थी संख्या-5 जगन्नाथ का दत्तक पुत्र होते हुए भी मैंरू उर्फ भैरिया का जांयन्दा पुत्र बनकर अपने नाम विरासत का नामान्तकरण खुलवाया है, जो कानूनन शून्य व बातिल है। उक्त आराजी में मैंरू उर्फ भेरिया के दोनों पुत्र जौहरी लाल व जगदीश का ही बराबर हिस्सा है । मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-1 ता 4, 2/3 हिस्से पर व अप्रार्थी संख्या-5, 1/3 हिस्से पर अपने-अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर काबिज चले आ रहे हैं । भैंरू उर्फ भैरया के 2/3 हिस्से की आराजी के कानूनन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-1 ता 4 काबिज खातेदार है, जिस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है । अप्रार्थी संख्या-5 के उत्तराधिकारी वादग्रस्त आराजी को गलत इन्द्राज के आधार पर बेचान करने हेतु आमादा व तत्पर है तथा आये दिन दलालों को लाकर बेचान करने की बातचीत करते है तथा आये दिन लडाई-झगडा मेड को लेकर करते हैं। इसलिए उक्त आराजी का तकासमा विधिवत किया जाकर खाता अलग-अलग किया जाना न्यायोचित है |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 5/1 से 5/10 ने उपस्थित होकर जवाब पेश प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट हरसूलिया में पत्रावली में बहस सुना जाना उल्लेखित कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13/06/2018 के द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अनुचित व अवैध रूप से ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई | जिसमे अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जोहरीलाल बनाम हजारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

576/2018

अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि मूल वाद घोषणा का है, जिसमे साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन कर घोषणा के बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के अन्तिम निस्तारण के वक्त तय किया जाना है, ऐसी स्थिति में यदि वाद के अन्तिम निस्तारण से पूर्व विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर जटिलता बढना एवं अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होना सम्भव है, जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक समझा जाता है | ऐसे में विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति को कायम रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/06/2018 निरस्त किया जाकर ता-फैसला मूल वाद विवादग्रस्त आराजी की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | तदनुसार अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 24/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर